न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 12/2011–12

श्री बृज मोहन खड़का आदि

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य आदि

श्री एस0पी0 त्यागी, एडवोकेट – अधिवक्ता निगरानीकर्तागण।

श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) – अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या–1 राज्य सरकार।

निर्णय

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–111 वर्ष 1998–99 सरकार बनाम सर्वोदय रिट्रीट द्वारा संजय घई अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम मौजा पौंधा, परगना पछवादून में पारित निर्णयादेश दिनांक 31–05–2000 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लेखपाल द्वारा प्रारूप–131 के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय विवादित भूमि के सम्बन्ध में सरकार बनाम सर्वोदय रिट्रीट द्वारा संजय घई अन्तर्गत धारा–116/167 जमींदारी विनाश अधिनियम वाद पंजीकृत हुआ। प्रतिपक्षी सर्वोदय रिट्रीट की ओर से इस वाद में आपत्ति दाखिल की गई। इस वाद में सहायक कलेक्टर द्वारा तहसीलदार विकासनगर से भी जांच आख्या प्राप्त की गई जिसमें उल्लेख किया कि प्रतिपक्षी सर्वोदय रिट्रीट द्वारा भूमि बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए क्रय की गई है एवं प्लाटिंग कर आवास हेतु भूमि विक्रय की जा रही है। विभिन्न खातेदारों द्वारा बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए भूमि हस्तान्तरित कर दी गई है जिससे जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–155 व 164 का उल्लघंन हुआ है और धारा–167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत भूमि राज्य सरकार में निहित किये जाने योग्य है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 17–04–2000 के आधार पर विभिन्न खातेदारों की भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत निर्णयादेश दिनांक 31–05–2000 से राज्य सरकार में निहित की गई। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 31–05–2000 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि सहायक कलेक्टर, विकासनगर द्वारा निगरानीकर्तागण की भूमि को राज्य सरकार में धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने का आदेश दिनांक 31–05–2000 को किया गया। इस वाद में निगरानीकर्तागण को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि का आवंटन निगरानीकर्तागण के भाई की युद्व के दौरान मृत्यु होने के कारण उनके पिता को हुआ था एवं निगरानीकर्तागण के पिता की मृत्यु होने के पश्चात प्रश्नगत भूमि पर निगरानीकर्तागण का नाम दर्ज हुआ। निगरानीकर्तागण ने उपरोक्त भूमि का कोई अनुबन्ध पत्र, विक्रय पत्र आदि किसी भी कम्पनी को नहीं किया गया और न ही कभी कब्जा हस्तान्तरित किया गया। निगरानीकर्ता संख्या–1 को दिनांक 10–10–2007 को जानकारी हुई कि निगरानीकर्तागण की भूमि बिना किसी आधार के सहायक कलेक्ट, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–111/1998–99 सरकार बनाम सर्वोदय रिट्रीट में एकपक्षीय आदेश दिनांक 31–05–2000 से राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। निगरानीकर्तागण की भूमि का सर्वोदय रिट्रीट कम्पनी से कोई सरोकार नहीं है। राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटीशन सरकार बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उ0प्र0, इलाहाबाद योजित की गई थी, जिसमें निगरानीकर्ता संख्या–1 को प्रतिउत्तरदाता संख्या–16 बनाया गया था। उक्त रिट पिटीशन दिनांक 21–12–2005 द्वारा निरस्त कर दी गई। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–16481 वर्ष 2006 स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम सर्वोदय रिट्रीट कम्पनी आदि योजित की गई, जिसमें निगरानीकर्ता संख्या–1 को प्रतिउत्तरदाता संख्या–5 बनाया गया। उक्त एस0एल0पी0 में राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश एवं उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 को निरस्त कर निगरानी मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड को पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निगरानी का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई। निगरानीकर्ता द्वारा इस आधार पर पृथक से उक्त निगरानी योजित की गई है। निगरानी जानकारी होने के समयावधि के अन्दर प्रस्तुत की गई है। सहायक कलेक्टर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 31–05–2000 पारित करने से पूर्व निगरानीकर्तागण

क्रमशः–2

को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। निगरानी स्वीकार कर सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2000 निरस्त कर प्रश्नगत भूमि पर निगरानीकर्तागण का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रतिपक्षी सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक कलेक्टर, विकासनगर के न्यायालय में धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वाद चला। निगरानीकर्तागण द्वारा 11 साल बाद निगरानी योजित की गई है, जिसके साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र लगाया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी के पृष्ठ–4 में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें सहायक कलेक्टर के आदेश की जानकारी 10–10–2007 को हुई। आदेश की जानकारी होने के बाद भी निगरानीकर्तागण द्वारा 04 साल बाद निगरानी योजित की गई है। निगरानी के पैरा–5 व 6 में उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाये जाने का तर्क दिया गया है, परन्तु निगरानीकर्तागण मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। निगरानीकर्तागण का धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब हेतु दिए गए सारे आधार गलत हैं। निगरानीकर्तागण की निगरानी में हुए विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। निगरानीकर्तागण को सहायक कलेक्टर के आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी। निगरानी कालातीत है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा विवादित भूमि को धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश दिनांक 31–05–2000 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्तागण का मुख्य रूप से यह तर्क है कि उन्हें प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 10–10–2007 को हुई है कि उनकी भूमि को सहायक कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। निगरानीकर्तागण द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को दिनांक 12–10–2007 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा उक्त भूमि को अकारण राज्य सरकार में निहित करने के कारण भूमि को राज्य सरकार के नाम से निरस्त कर निगरानीकर्तागण के नाम अंकित किए जाने का अनुरोध किया गया। विवादित भूमि मौजा पौन्धा, परगना पछवादून के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रारूप–131 पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सहायक कलेक्टर, विकासनगर के न्यायालय में वाद संख्या–111/98–99 सरकार बनाम सर्वोदय रिट्रीट द्वारा संजय घई दर्ज हुआ। इस वाद में प्रतिपक्षी सर्वोदय रिट्रीट को नोटिस प्रेषित किया गया जिसमें उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं अनुरोध किया गया कि पत्रावली को तहसीलदार को जांच हेतु भेजी जाय। तहसीलदार, विकासनगर द्वारा दिनांक 17–04–2000 को जांच आख्या प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रतिपक्षी संस्था द्वारा विभिन्न खातेदारों की भूमि बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए भूमि कय की गई है और प्लाटिंग कर आवास हेतु भूमि विक्रय की जा रही है। भूमि खातेदारों द्वारा बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए हस्तान्तरित की गई है जिससे जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–155 व 164 का उल्लंघन हुआ है और प्रश्नगत भूमि धारा–167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने योग्य है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा विवादित भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने हेतु निर्णयादेश दिनांक 31–05–2000 पारित किया गया।

अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस पेपर संख्या–3/3 के अवलोकन से विदित है कि यह नोटिस सर्वोदय रिट्रीट को दिनांक 12–12–97 को प्रेषित किया गया। नोटिस के प्रतिउत्तर दिनांक 30–12–97 में सर्वोदय रिट्रीट द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उनका प्रश्नगत भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। मूल वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय में चले प्रश्नगत वाद में निगरानीकर्ता जिसकी भूमिधरी भूमि को राज्य में निहित किया गया है, को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया है। जब निगरानीकर्तागण भूमिधर दर्ज कागजात हैं तो वाद में उन्हें नोटिस प्रेषित न किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। न्यायहित में निगरानीकर्ता को प्रश्नगत वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार करते हुए निगरानीकर्तागण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.705 है0, 1481 रकबा 0.388 है0 व 1486/2 रकबा 0.142 है0 के संदर्भ में आक्षेपित आदेश

क्रमशः–3

दिनांक 31–05–2000 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश सहित अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत वाद में निगरानीकर्तागण को सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान करते हुए वाद का विधि अनुरूप निस्तारण किया जाए। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस हो तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।

आज दिनांक 20.4.2015 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।